न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 261/2018

अनवान : –

1. जयवीर पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिक व माता बिरमा देवी पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. संजय पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिक व माता बिरमा देवी पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। ।

– वादीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सोनू 3. ममता पुत्रीया जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
6. एसबीआई बैंक शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 25/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि उपरोक्त सयुक्त हिन्दु परिवार जो मुताक्षरा हिन्दु विधि से संशासित है। तथा वादीगण के सयुक्त परिवार की अर्जित पैतृक कृषि भूमि वादीगण दादा व पडदादा किशनाराम पुत्र नत्थूराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर की पुरानी खातेदारी भूमि है।

उपरोक्त सयुक्त पैतृक कृषि भूमि खाता स0 328/78 के ख०न० 218 की 6.9300 हैक्ट ख0न0 219 की 2.8330 हैक्ट ख0न0 220 की 13.1520 हैक्ट ख0न0 364/2 की 6.0960 हैक्ट, कुल तादादी 29.0110 हैक्ट भूमि वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर वादीगण के दादा किसनाराम नत्थुराम के नाम 1147 हिस्सा भूमि थी जिसमें किसनाराम ने उक्त भूमि में से 920 हिस्सा अपने पुत्रो जयसिंह व जगदीश पि० किसनाराम को दान पत्र करवा दिया तथा दान पत्र के आधार पर प्रतिवादी स० 1 के नाम 920 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा यानि 460 हिस्सा बतौर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है तथा उपरोक्त प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण स० 2 व 3 का पैदायशी हक यानि बाई बर्थ राईट है।

सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि खाता स0 328/78 की कुल तादादी 29.0110 हैक्ट में से 460 हिस्सा तथा उक्त भूमि प्रतिवदी स० 1 के नाम बतैर कर्ता सयुक्त हिन्दु

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

परिवार दर्ज है। तथा उक्त पैतृक दादालाई कृषि भूमि में वादीगण स० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 2 व 3 चारो प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि खाता स० 328/78 की कुल तादादी 29.0110 हैक्ट, भूमि में से 460 हिस्सा वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर प्रतिवादी स० 1 के नाम गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि नियमानुसार वादीगण स० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 2 व 3 चारो प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम गलत दर्ज होने से प्रतिवादी स० 1 उक्त वादग्रस्त भूमि समस्त किसी अन्य को फरोक्त करने की योजना बना रहा है। जिससे प्रतिवादी स० 1 उपरोक्त मकसद पुरा होने से वादीगण के खातेदारी हकुक का हनन होता है जिससे वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि जो प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज है मे वादीगण अपने आपको तथा प्रतिवादी स० 2 व 3 चारो को प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने का मजाज है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नही अत प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

साक्ष्य में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि सयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक कृषि भूमि खाता स0 328/78 की कुल तादादी 29.0110 हैक्ट में से 460 हिस्सा तथा उक्त भूमि प्रतिवदी स० 1 के नाम बतैर कर्ता सयुक्त हिन्दु परिवार दर्ज है। तथा उक्त पैतृक दादालाई कृषि भूमि में वादीगण स० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 2 व 3 चारो प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि खाता स० 328/78 की कुल तादादी 29.0110 हैक्ट, भूमि में से 460 हिस्सा वाके रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर प्रतिवादी स० 1 के नाम गलत दर्ज है जबकि उक्त भूमि नियमानुसार वादीगण स० 1 व 2 व प्रतिवादी स० 2 व 3 चारो प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार है। मगर हाल राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी स० 1 के नाम गलत दर्ज होने से प्रतिवादी स० 1 उक्त वादग्रस्त भूमि समस्त किसी अन्य को फरोक्त करने की योजना बना रहा है। जिससे प्रतिवादी स० 1 उपरोक्त मकसद पुरा होने से वादीगण के खातेदारी हकुक का हनन होता है जिससे वादीगण अपने खातेदारी हकूक की घोषणा करवाकर जमाबन्दी दुरूस्त करा वादग्रस्त भूमि जो प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज है मे वादीगण अपने आपको तथा प्रतिवादी स० 2 व 3 चारो को प्रतिवादी स० 1 के साथ ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज करवापाने का मजाज है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रतिवादी स0 1 के नाम उक्त भूमि जरिये दानपत्र दर्ज हुई है प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में प्रतिवादी स0 1 के पिता किशना द्वारा दानपत्र किया गया है जबकि किशना से पूर्व उक्त भूमि किसके नाम दर्ज रही है बाबत अधिवक्ता वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है अत प्रथम दृष्टया उक्त भूमि प्रतिवादी स0 1 की स्वयं अर्जित भूमि होना प्रतीत होता है तथा किशना द्वारा प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में दानपत्र किया गया है अधिवक्ता वादी द्वारा न तो दानपत्र की प्रति पेश की गई है एवं न ही दानपत्र के खंडन में कोई दस्तावेज पेश किया गया है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 261/2018

अनवान : –

1. जयवीर पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिक व माता बिरमा देवी पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. संजय पुत्र जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर नाबालिग जरिये संरक्षिक व माता बिरमा देवी पत्नी जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। ।

– वादीगण

बनाम्

1. जगदीश पुत्र किशनाराम जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. सोनू 3. ममता पुत्रीया जगदीश जाति नायक निवासी लाखासर तहसील नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
6. एसबीआई बैंक शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 261 सन 2018 निर्णय दिनांक 25/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर